कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा।

बजट घोषणा संख्या 206 "हरियाणवी कला प्रसार योजना"

हरियाणा के गौरव

हरियाणा राज्य में कला और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने, प्रचार-प्रसार करने हेतु राज्य के बच्चों/युवाओं/उभरते कलाकारों/जनमानस मे कौशल निर्माण करना अति आवश्यक है। जिससे उनकी प्रतिभा को पहचान कर व उन्हे उचित अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर हरियाणा के गौरव का आयोजन किया जायेगा। जिला स्तर पर राज्य के बच्चों/युवाओं/जनमानस में कलात्मक भावना को जागरूक करने के लिए जिला स्तर पर इसका आयोजन करते हुए राज्य स्तर पर किया जाएगा। इसके अन्तर्गत संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्रकला, मूर्तिकला, कलाबाजी, जिमनास्टिक, जादू तथा मार्शल आर्ट के विभिन्न रूपों में प्रतियोगिता के माध्यम से सामाजिक विषयों पर जनमानस को सकरात्मक संदेश भी दिया जाएगा। इस पूरे आयोजन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाएगाः-

- प्रचार एवं प्रसार - सभी माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
- ऑडिशन- सभी 22 जिलों में ऑडिशन आयोजित किए जाएगें।
- सेमी-फाइनल- ऑडिशन के बाद 50 उमीदवारों का चयन किया जाएगा।
- ग्रैंड फिनाले- ग्रैंड फिनाले में प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा।

1. विभाग का उद्देश्य विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से हरियाणा राज्य में दृश्य एवं निष्पादन कलाओं (पारंपरिक, लुप्त होती तथा आधुनिक) का संवर्धन एवं संरक्षण करना है।
2. प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रदेश की बहुमूल्य धरोहर से अवगत करवाना है।
3. इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी/उभरते कलाकारों तथा जनमानस में प्रतिभा खोजकर उनका मनोबल बढ़ाना एवं मंच प्रदान करना है।
4. प्रतियोगिताओं के माध्यम से उभरते कलाकारों को उच्चकोटि के कलाकारों से मिलकर उनसे प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करना है।
5. प्रतियोगिता में विजेता कलाकारों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है।
6. प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को बिना किसी वित्तीय भार से उचित अवसर प्रदान करना है।
7. राज्य की सांस्कृतिक विरासत को विश्वपटल पर सुदृढ़ करना है।

नियम एवं शर्तें

1. हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिले के कलाकारों की प्रतिभा को खोजने के लिए विभाग जिला स्तर, मण्डल स्तर तथा राज्य स्तर पर प्रत्येक विधा में समय-समय पर प्रतियोगिताएं सुनिश्चित करवाएगा।

2. कलाकार एकल, युगल तथा समूह तीनों प्रकार से प्रतियोगिता में भाग ले सकता है।
3. विभाग समाचार पत्रों/सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतियोगिताओं के आवेदन आमंत्रित करेगा।
4. आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा तथा इसके लिए विभाग में प्रतिभागी को अधिवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
5. प्रतिभागी की न्यूनतम आयु चार वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
6. लुप्त हो रही कलाओं के संदर्भ में किसी भी अवस्था के कलाकार को प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिल सकेगा।
7. हरियाणा के गौरव का जिला स्तर पर ऑडिशन प्रशासन के सहयोग से करवाया जा सकेगा।
8. प्रतियोगिताओं में निर्णायक मण्डल द्वारा ही अंतिम निर्णय स्वीकार्य होगा।
9. निर्णायक मण्डल में राज्य से या राज्य से बाहर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति–विशेष ही विशेषज्ञ होंगे।
10. प्रतियोगिता दौरान प्रस्तुति की अवधि विषय–विशेष के अनुरूप निर्धारित की जाएगी।
11. अभद्रता/राजनीतिक संबद्धता/साम्यवाद भावना वर्जित रहेगी।
12. किसी भी आवेदन–पत्र को कारणों के अनुसार स्वीकार/रद्द करने का अधिकार विभाग का होगा।
13. प्रतियोगिता में विजेताओं को प्रमाण–पत्र, स्मृति चिन्ह तथा ईनाम राशि विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।
14. सम्पूर्ण प्रतियोगिता की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी/कैटालॉग तैयार करवाई जाएगी।
15. विभाग द्वारा “हरियाणा के गौरव” प्रतियोगिता का आयोजन एजेंसी के माध्यम से करेगा।

युवा उन्मुख नीति

विभाग द्वारा दृश्य और निष्पादन कला के प्रचार–प्रसार और संरक्षण के कार्य हेतु राज्य के युवा वर्ग मे कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता लाने के साथ–साथ विभिन्न कला विधाओ के प्रति प्रेरित/प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है, जिससे कि प्रत्येक युवा मे कला का अंकुरण हो सके। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा युवाओ मे कला एवं संस्कृति कौशल निर्माण के लिए हरियाणा राज्य के तथा राज्य से बाहर राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सहयोग से समय–समय पर कार्यशाला/सेमिनार/प्रदर्शनी इत्यादि आयोजित किये जायेगें। इस उद्देश्य को सार्थक करने के लिए सर्वप्रथम राज्य के स्कूलों, कॉलेजो, विश्वविद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों में राज्य की कला और संस्कृति से संबंधित शैक्षिणक विषय शामिल करना अति आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता मे एक कमेटी का गठन कर इस मामले मे आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। विभाग द्वारा हरियाणा राज्य के युवाओं की प्रतिभा को सामने लाने के लिये, उचित मंच प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर आयोजन किया जाएगा। जिससे राज्य की युवा पीढी में आत्म विश्वास, प्रेरणा, प्रोत्साहन की भावना पनपेगी तथा कला एवं संस्कृति का प्रचार–प्रसार करने का उद्देश्य भी सार्थक होगा। उक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार रूपरेखा तैयार की जायेगीः–

1. विभाग द्वारा समय–समय पर राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तरीय, कार्यशाला/सेमिनार/प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन किया जायेगा।
2. सांस्कृतिक आदान–प्रदान के उद्देश्य से विभाग उक्त कार्यक्रम राज्य में तथा राज्य से बाहर भी आयोजित करेगा।
3. कार्यशालाओं को तीन वर्गो कला उन्नयन तथा कला उत्कर्ष के नाम से संबोधित किया जायेगा।

   I. **कला उन्नयन–ः** इस कार्यशाला मे उन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिन्हें कला का अल्प ज्ञान है पर उन्हें उस ज्ञान का संवर्धन करने के लिए उचित दिशा निर्देशो एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

   II. **कला उत्कर्षः–** इन कार्यशालाओं मे विभाग विषय– विशेष पर आधारित रचनाकरण के लिए पेशेवर कलाकारों के साथ मिलकर रचना का निर्माण करेगें।

4. विभाग द्वारा निर्धारित समय तक कार्यशाला मे भाग लेने वाले युवा कलाकारों को प्रमाण–पत्र प्रदान किए जाएंगे।
5. कार्यशाला/सेमिनार/प्रदर्शनी इत्यादि आयोजन के संबंध में राज्य/राष्ट्र के सुप्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जायेगा। आमंत्रित विशेषज्ञों को नियमानुसार टी.ए. डी.ए. तथा मानदेय प्रदान किया जाएगा।
6. विषय–विशेषज्ञों के चयन हेतु कला की प्रत्येक विधा मे एक वर्ष के लिए समाचार पत्रों मे आवेदन के माध्यम से विभाग द्वारा गठित कमेटी के द्वारा पांच–पांच सदस्य निर्धारित कर लिये जायेगें, जिनमे से उपलब्धता के आधार पर उक्त आयोजनो मे आमंत्रित किया जायेगा।

कला अधिगम प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना

हरियाणा में दृश्य/निष्पादन कला के प्रोत्साहन हेतु **कला अधिगम प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना** का निर्माण किया जा रहा है। ताकि उक्त छात्रवृत्ति का लाभ हरियाणा के योग्य अभ्यर्थियों को दृश्य एवं प्रदर्शन कला के क्षेत्र में प्राप्त हो सके।

योजना का उद्देश्य प्रतिभा सम्पन्न युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, दृश्यकला, लोक रंगमंच–स्वांग, पारम्परिक ओर स्वदेशी कलाओं तथा सुगम/शास्त्रीय/ अर्धशास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में हरियाणा में उच्च शिक्षा के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के अन्तर्गत औपचारिक अधिगम (learning) प्रोत्साहन योजना को शामिल किया गया है ताकि इसके अन्तर्गत आने वाले औपचारिक अधिगम तथा महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

औपचारिक अधिगम प्रोत्साहन योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत जो छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी उनकी अवधि सामान्यतः दो वर्ष होगी। ये छात्रवृत्तियां उन कला विधाओं में दी जाएगी जिनकी शिक्षा हरियाणा में स्थित महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों (निजी एंव सरकारी) में दी जा रही है

किन्तु ये छात्रवृत्तियां केवल परास्न्नातक स्तर के कोर्सों के लिए दी जाएगी जो पूर्णतया कला विधाओं के अध्ययन के लिए निर्धारित है।

<u>पात्रता की शर्तें</u> :–

1. अभ्यर्थियों को हरियाणा का वासी होना चाहिए, तथा भारत में स्थित यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान का छात्र होना अनिवार्य है।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में रंगमंच (थियेटर), चित्रकला, मूर्तिकला, परास्न्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यता सूची में हरियाणा वासी दो उच्च स्थानों पर शामिल विद्यार्थी छात्रवृत्ति के हकदार होगें और नृत्य तथा संगीत के संदर्भ में स्नातक के अंतिम वर्ष में पहले दो स्थानों/परास्नातक मे दाखिले के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर बनाई गई मैरिट लिस्ट मे दो उच्चस्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति के हकदार होगें।
3. परास्न्नातक के प्रथम वर्ष में दाखिले की योग्यता सूची में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले हरियाणा के विद्यार्थी तथा परास्न्नातक के ही प्रथम वर्ष उत्तीर्ण उपरांत वार्षिक परीक्षा की योग्यता सूची में हरियाणा के प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कला क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के हकदार होंगे। सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत पात्रता का निर्धारण प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टरों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा।
4. अभ्यर्थी को आवेदन के साथ अपनी डिटेल मार्कस सर्टिफिकेट संबंधित संस्थान के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित अग्रेषण पत्र (forwarding letter) सहित विभाग को उपलब्ध करवाना होगा।

<u>योजना के अर्न्तगत छात्रवृत्ति की राशि और जारी करने से संबंधी शर्तें</u> :–

- प्रत्येक विद्यार्थी को यात्रा, पुस्तकों, कला सामग्री या अन्य उपस्कर और ट्यूशन या प्रशिक्षण प्रभारी, यदि कोई हो तथा अपने विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री पर वहन करने के लिए 2 वर्ष (6–6 माह के अंतराल में) (जैसा भी विषय क्षेत्र हो) की अवधि के लिए प्रति माह 1000 रूपये का भुगतान किया जाएगा।

<u>विज्ञापन</u> :–

- आवेदन पत्रों को आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा, की वैबसाइट – **http://artandculturalaffairshry.gov.in** द्वारा जारी किए जाएंगे।

<u>आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज</u> :–

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज (फोटो प्रति) जमा करने होंगे :–

1. शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभवों इत्यादि की एक–एक स्व सत्यापित प्रति।

2. मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण–पत्र, यदि कोई हो, अथवा आयु का कोई अन्य संतोषजनक प्रमाण (जन्म पत्रियों के अलावा) की एक सत्यापित प्रति।
3. पासपोर्ट आकार का एक नवीनतम फोटो।

सामान्य :–

1. अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष साक्षात्कार/प्रदर्शन के लिए उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है।
2. परिणाम/निर्णय विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
3. सभी चयनीत आवेदनकर्ताओं को विभाग से बतौर कलाकार पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी।
4. पते में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो उसे विभाग को लिखित में सूचित किया जाना चाहिए और सूचित करते समय प्रशिक्षण के विषय क्षेत्र का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
5. भविष्य में किसी भी पत्र व्यवहार के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित ब्यौरा अवश्य दें :–
   - योजना का नाम।
   - सुस्पष्ट अक्षरों में उम्मीदवार का नाम।
   - प्रशिक्षण का विषय/क्षेत्र।
   - पंजीकरण संख्या।

योजना तालिका

प्रस्तावित योजना – कला अधिगम प्रोत्साहन योजना
औपचारिक अधिगम प्रोत्साहन योजना

योजना का नाम	संस्था का नाम	आधारित तंत्र	अवधि
कला अधिगम प्रोत्साहन योजना **(औपचारिक अधिगम प्रोत्साहन योजना)**	हरियाणा स्थित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थान (सरकारी एवं गैर–सरकारी)	हरियाणा मूल के दो प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु परास्नातक स्तर पर आधारित कोर्सों के लिए 1000/– रूपये प्रति माह (6–6 मास के अन्तराल में) प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए।	2 वर्ष (6–6 मास के अन्तराल में)
पांचों विधाओं (संगीत, नृत्य, थियेटर, चित्रकला, मूर्तिकला) में दो–दो शिष्यों को प्रत्येक वर्ष 1,000/– रू0 प्रति माह एक छात्र को प्रदान किए जाएंगे।			

गुरू–शिष्य परम्परा

भारत में गुरू–शिष्य परम्परा अति प्राचीन परम्परा है, जिसमें गुरू अपने कला क्षेत्र में अनेक शिष्यों को पारंगत करते थे, जिससे अनेक कलाओं का संरक्षण संभव हो सका। हरियाणा राज्य में लुप्त होती जा रही अनेक कला विधाओं को संवर्धन एवं संरक्षण

के लिए गुरू शिष्य परम्परा योजना का बनाया जाना अतिआवश्यक है। क्षेत्र में लोक संगीत (गायन/वादन) लोक नृत्य, लोक रंगमंच, लोककलाओं (चित्रकला/मूर्तिकला) के क्षेत्र में लुप्त हो रही कलाओं के परिरक्षण हेतु विभाग द्वारा गुरू शिष्य परंपरा नीति का बनाया जाना अतिआवश्यक है। इसमें राज्य के विभिन्न कला विशेषज्ञों/गुरूओं/मास्टर जो राज्य की इच्छुक युवा पीढ़ी/उभरते कलाकारों/शिष्यों को विषय विशेष में प्रशिक्षण देकर विभिन्न कलाओं के संरक्षण–संवर्धन हेतु महत्वपूर्ण योगदान देंगे। विभाग द्वारा ऐसे गुरूओं तथा शिष्यों को निर्धारित मापदण्ड के आधार पर मानदेय प्रदान किया जाएगा।

1. **संगीत के अन्तर्गतः–** बीन, बांसली सांरगी, नगाड़ा, जोगी–जंगम, दोतारा, ताशा, हरियाणवी लोक गायन इत्यादि शामिल होगें।
2. **नृत्य के अन्तर्गतः–** गुगा, रसिया, धमाल, खोड़िया, बम्ब लहरी तथा लूर इत्यादि नृत्य शामिल होगें।
3. **रंगमंच के अन्तर्गतः–** स्वांग।
4. **चित्रकला के अन्तर्गतः–** पारंपरिक भित्ति चित्र, लोककलाएं इत्यादि।
5. **मूर्तिकला के अन्तर्गतः–** 1. समकालीन मूर्तिकला– धातु ढलाई, लकडी गड़ाई, पत्थर गड़ाई, मृणमूर्तिया 2. लोक कला शिल्प– अंडर वुड कट, टैपस्ट्री कला, पेपर मैशे इत्यादि शामिल होगें।

नोटः– गुरू–शिष्य परम्परा योजना का कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष तक मान्य रहेगा। लाभान्वित गुरू/शिष्यों को प्रत्येक 3 मास उपरान्त निरीक्षण/प्रस्तुति हेतु बुलाया जाएगा तथा विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा उनके कार्यकाल के विस्तार में निर्णय लिया जाएगा।

<u>नियम एवं शर्तेः–</u>

1. गुरू शिष्य पंरपरा मे दृश्य और निष्पादन कला की लुप्त हो रही विधाओं में अधिकतम पांच–पांच गुरूओं को लाभान्वित किया जा सकेगा।
2. आवेदक गुरू को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र तथा परिवार पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक गुरू की आयु 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
4. आवेदक गुरू के पास अपने कला क्षेत्र का कम से कम 20 साल का अनुभव होना अनिवार्य है।
5. आवेदक गुरू अपना जीवन परिचय, नवीनतम छायाचित्र (फोटो) तथा अपने कला क्षेत्र में मिले प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियां, सरकार/ गैर–सरकार कला और संस्कृति संस्था/संस्थान से मिले पुरस्कार या मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न करेगा।
6. विभाग द्वारा गुरू–शिष्य परम्परा में आवेदन के लिए सभी विषयों (दृश्य कला और प्रदर्शन कला) से संबंधित कलाकारों से समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

7. गुरू की उम्मीदवारी प्रक्रिया, मूल्यांकन तथा सिफारिश करने के लिए माननीय प्रधान सचिव महोदय की अध्यक्षता में विशेषज्ञों सहित एक कमेटी का गठन किया जाएगा।

8. इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा और मूल्यांकन के लिए समय-समय पर गुरूओं/शिष्यों की एक निरीक्षण कार्यशाला/ सह-प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी।

9. प्रत्येक गुरू को अपनी कला विधा में कम-से-कम पांच से आठ हरियाणा राज्य के ही शिष्यों को प्रशिक्षित करने हेतु ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना के अंतर्गत गुरूओं के पारिवारिक सदस्यों को सिखाने हेतु लाभ नही मिल सकेगा।

10. गुरू-शिष्य परम्परा योजना का कार्यकाल केवल दो वर्ष तक ही मान्य रहेंगा।

गुरू-शिष्य परम्परा में दिए जाने वाले मानदेय

(गुरू की न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी अनिवार्य है।)

(गुरू, सहायक, शिष्य का मानदेय विवरण- प्रत्येक माह के लिए)

- एक गुरू :- 6,000/- प्रतिमाह।
- एक सहायक :- 2,500/- प्रतिमाह।
- एक शिष्य :- 1,000/- प्रतिमाह।